

कांग्रेस शताब्दी वर्ष पर
ऐतिहासिक दस्तावेज

मेवाड़ प्रजामण्डल

(1938 ई. से 1945 ई.)



लेखक

स्वर्गीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया

प्रकाशक

कांग्रेस शताब्दी समारोह समिति, उदयपुर

मेवाड़ प्रजामण्डल

सन् 1938 में हरिपुरा कांग्रेस में यह निर्णय किया गया कि देशी रियासतों की जनता को अपने पांव पर खड़ा होना चाहिये और अपने अधिकारों को प्रगट करना चाहिये। देश में एक तरफ कांग्रेस हुकूमत चला रही थी और दूसरी तरफ हमारी रियासत थी जिसमें जनता का संगठन, नागरिक अधिकार और जिम्मे-वाराणा हुकूमत की बात करना गुनाह समझा जाता था। देश के कोने-कोने में जनता अपने सोये हुए अधिकारों को प्राप्त करने के लिये प्रातुर थी और उसके घर से मेवाड़ भी छूटा नहीं रहा। सब से पहिले "मेवाड़ प्रजामण्डल" की नींव डालने की प्रेरणा बिजोलिया आन्दोलन के प्रमुख नेता श्री माणिक्यलालजी वर्मा ने दी और उसके बाद वह संगठन अप्रैल सन् 1938 में उदयपुर में कायम किया गया और उसके प्रथम सभापति श्री बलवन्तसिंहजी महता एवम् उपाध्यक्ष श्री भूरेलालजी बघा बनाये गये।

संगठन के कायम होते ही मेवाड़ सरकार के उस समय के प्रधान मन्त्री श्री घर्मनारायणजी ने उसको जन्म के साथ ही दफनाने की कोशिश की और संगठन को गैरकानूनी घोषित कर दिया। किसी भी प्रकार यह संगठन काम कर सके इसके लिए प्रजामण्डल के प्रमुख कार्यकर्ता श्री घर्मनारायणजी से मिले और उनके साथ स्वर्गीय सेठ श्री जमनालालजी बजाज ने भी पत्र व्यवहार किया लेकिन सरकार उस से मस नहीं हुई। उसका परिणाम यह हुआ कि मेवाड़ प्रजामण्डल की कार्य-कारिणी ने तारीख 4 अक्टूबर सन् 1938 तक प्रतिबन्ध नहीं हटाया गया तो आन्दोलन करने का अल्टीमेटम दिया। इस बीच महात्मा गांधी के सामने सारी स्थिति रखी गई और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया गया। अल्टीमेटम का समय ज्यों ज्यों नजदीक आता गया जनता में उत्तेजना बढ़ने लगी और सरकार दमन के साधनों को ज्यादा बढ़ाने लगी। मेवाड़ में सी. आई. डियों का जाल बिछा दिया गया और हर सफेद टोपी वाले को सन्देह की दृष्टि से देखा जाने लगा। अल्टीमेटम का समय समाप्त हो उससे पहिले ही श्री भूरेलालजी बघा उपाध्यक्ष मेवाड़-प्रजामण्डल को गिरफ्तार करके मेवाड़ के सराड़ा किले में

जो काला पानी कहा जाता है, और जहां का जलवायु अत्यन्त खराब है, नजरबन्द कर दिया गया।

ता. 4 अक्टूबर को श्री रमेशचन्द्रजी व्यास प्रथम सत्याग्रही की तरह परमेर से मेवाड़ सरकार का कानून तोड़ने के लिये रवाना हुए और उनको रास्ते में खेमली स्टेशन पर गिरफ्तार करके पहिले लसाड़िया बाद में सरास (वही काला पानी) भेज दिया गया। उसी काले पानी को बाद में प्रजामण्डल के अध्यक्ष श्री बलवन्तसिंहजी मेहता और उदयपुर के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य श्री भवानीशंकरजी भेजे गये थे। सेन्ट्रल जेल में गिरफ्तार करके भेजे गये व्यक्तियों में श्री दयाशंकरजी श्रोत्रिय, संयुक्त मंत्री प्रजामण्डल भी थे। आन्दोलन की शुरुवात हो गई और उसका रूप धीरे धीरे बढ़ने लगा।

मेवाड़ प्रजामण्डल के इस आन्दोलन में बहुत से स्थानों से व्यक्ति हिस्सा ले रहे थे और आन्दोलन का संचालन अजमेर से श्री माणिक्यलालजी वर्मा जो प्रजामण्डल के प्रधानमंत्री थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में कर रहे थे। उनके साथ प्रजा मण्डल की कार्यकारिणी के सदस्य श्री नन्दलालजी जोशी अजमेर ऑफिस में काम कर रहे थे। आन्दोलन ने सबसे बड़ा और सामूहिक रूप नाथद्वारा में ग्रहण कर लिया। वहां के प्रमुख कार्यकर्ता श्री नरेन्द्रपालसिंहजी चौधरी और प्रोफेसर नारायणदासजी की गिरफ्तारी के बाद नाथद्वारा में हड़ताल हो गई और ता. 30-8-38 को लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज के कारण कई व्यक्तियों के चोट आई। बाद में लाठीचार्ज होने पर भी वहां का आन्दोलन शान्त होता हुआ नजर नहीं आया और हमेशा कोई न कोई तिरंगा झण्डा हाथ में लिये हुए और इन्कलाब जिन्दाबाद का नारा लगाते हुए बाहिर आने लगा तो मेवाड़ सरकार ने वहां पर 144 दफा लागू कर दी। मिलट्री भेजी और एक साथ करीब चालीस गिरफ्तारियां की और उन पर बलवे का मुकदमा लगाया, लेकिन बाद में वह मुकदमा सफल नहीं हुआ।

14 दिसम्बर सन् 1938 को मेवाड़ प्रजामण्डल के कार्यकर्ता श्री मथुरा-प्रसादजी वैद्य को देवली के ऐसे स्थान से जो मेवाड़ की हद्द से 12 गज दूर था, पुलिस द्वारा मार-पीट कर ले जाये गये। रास्ते में पुलिस वालों ने उनको बुरी तरह पीटा और बेहोशी हालत में ही मेवाड़ में गिरफ्तार करके ले जाया गया।

सन् 1938 के आन्दोलन में उदयपुर, नाथद्वारा, भीलवाड़ा वगैरा सब जगह मिलाकर 213 कुल गिरफ्तारियां हुईं जिसमें करीब 35 ने सजा भुगती। 9 पर बलवे का केस चलाकर जुर्माना वसूल किया। 9 व्यक्तियों की नजरबन्द

घोर 4 पर अन्य प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये, सत्याग्रहियों के पैरों में डण्डदार बेड़ियां डाली गईं। महिलाओं को अकसर पकड़ कर छोड़ दिया गया। आंदोलन धीरे-धीरे चल ही रहा था घोर मेवाड़ सरकार की निगाह इस बात पर लगी हुई थी कि किसी भी प्रकार वह अजमेर से आन्दोलन का संचालन करने वाले श्री माणिक्यलालजी वर्मा को गिरफ्तार करले। अन्त में मेवाड़ सरकार ने घोखे से श्री वर्माजी को अजमेर मेरवाड़ा की हद्द देवली में ही गिरफ्तार कर लिया और उनको पीटते-पसीटते हुए मेवाड़ की हद्द में लाये। इसके कारण उनका काफी खून गया और उनकी हालत चिन्ताजनक हो गई।

मेवाड़ सरकार के इस अमानुषिक व्यवहार का हाल जब महात्माजी को मालूम हुआ तो 18 जनवरी सन् 1938 के "हरिजन" में एक वक्तव्य देते हुए प्रजामण्डल को कानूनी कार्यवाही करने की सलाह दी और निम्नलिखित आदेश दिया— "विदेशी राज्यों में सत्याग्रह करने वालों को यह ध्यान में रखना चाहिये कि वास्तविक संघर्ष तो अब आनेवाला है। रियासतें छोटी व बड़ी सभी एक साथ दमन कर रही हैं। अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत में आन्दोलन दबाने के लिये रबैया जो अस्त्यार किया उसी की यह नकल है और सम्भवतः उसकी भयंकरता में वृद्धि हो। राजाओं को जनमत का कोई भय नहीं है। क्योंकि देशी रियासतों में सिर्फ चन्द जगह के अलावा कोई जनमत नहीं है। इनके भयंकर व्यवहार से वास्तविक सत्याग्रहियों को डरना नहीं चाहिये।"

श्री वर्माजी की गिरफ्तारी के बाद 3 मार्च सन् 1939 को महात्मा गांधी ने मेवाड़ प्रजामण्डल को यह आदेश दिया कि सत्याग्रह स्वगित करदे। तदनुसार सत्याग्रह स्वगित कर दिया गया लेकिन मेवाड़ सरकार ने सत्याग्रह स्वगित होने पर भी जो व्यक्ति जेल में थे उनकी रिहाई नहीं की।

मेवाड़ प्रजामण्डल के सब कार्यकर्ता सन् 1940 तक रिहा कर दिये गये लेकिन प्रजामण्डल को कानूनी घोषित नहीं किया गया। प्रजामण्डल के कार्यकर्ता रिहा होने के बाद संगठित होने लगे कि उनके सामने मेवाड़ में सन् 1939 के अकाल का दृश्य उपस्थित हुआ। अकाल पीड़ितों को कोई पूछने वाला नहीं था। और वे लोग बहुत परेशान हो रहे थे। प्रजामण्डल ने "मेवाड़-अकाल फण्ड" कायम किया और जनता में कार्य करना शुरू किया। प्रजामण्डल ने गांधी जयन्ती, राष्ट्रीय-सप्ताह वगैरा का आयोजन भी शुरू किया और अब श्री धर्मनारायणजी के बदले श्री राघवाचार्यजी नये दीवान होकर आये थे। उनका रुख कुछ अधिक उदार था। उनके सामने प्रजामण्डल ने कुछ जागीरदारों के

जुल्म और अफसरों की रिश्ततलोरी के नमूने रहे उस पर भी उनमें टीका
 कार्यवाही की। प्रजामंडल का प्रतिबन्ध अन्त में सन् 1941 की फरवरी में हटा।

प्रतिबन्ध हटते ही प्रजामंडल ने मेम्बर बनाना और कमेटियाँ कायम करना
 शुरू किया और नवम्बर सन् 1941 में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन श्री
 माणिक्यलालजी वर्मा की अध्यक्षता में हुआ जिसका उद्घाटन श्री आचार्य
 कृपालानी प्रधानमंत्री कांग्रेस ने किया और प्रदर्शनी का उद्घाटन श्रीमती
 विजयलक्ष्मी पंडित ने। अधिवेशन के पहले मेवाड़ सरकार ने एसेम्बली के
 सम्बन्ध में एक घोषणा की और जनता की राय जानने के लिये लेजिस्लेटिव
 एसेम्बली का एक्ट बिल के रूप में प्रकाशित किया। प्रजामंडल ने उसके लिये
 एक मेमोरेण्डम तैयार किया और मेवाड़ सरकार के पास भेजा गया।

प्रजामंडल पर जब से प्रतिबन्ध उठा, प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने
 अपना लक्ष्य रचनात्मक कार्य और संगठन पर केन्द्रित किया। फरवरी 1942
 में श्री ठक्कर बापा की उपस्थिति में हरिजन सेवा कार्य श्री मोहनलाल सुखाड़िया
 और भीलसेवा कार्य श्री बलबन्तसिंहजी मेहता को सौंपा। मेवाड़ में भीलों की
 4 लाख जनसंख्या है और यह एक आदिवासी जाति है। भील जाति शोषित है,
 पीड़ित है और आज की सम्यता से अनभिज्ञ है। यह जाति बहादुर है लेकिन
 उसको संगठित न होने देना सरकार का लक्ष्य प्रतीत होता है। सन् 1941 के
 नवम्बर में काम संगठित हो ही रहा था कि देश की परिस्थिति दिन ब दिन
 चिन्ताजनक होने लगी और सारी शक्ति अग्निवाले संघर्ष की तैयारी में लगने लगी।

सन् 1942 का साल ससार के लिये बहुत ही उतार चढ़ाव का साल था
 और उस समय की घटनाओं से कोई भी देश बच नहीं सकता था। सन् 1942
 तक भारतवर्ष इस महायुद्ध की लपटों को दूर से देख रहा था लेकिन सन् 1942
 में एक तरफ जापान भारतवर्ष की छाती पर चढ़ा आ रहा था और दूसरी
 तरफ जर्मनी स्टालिनग्रेड का युद्ध जीतकर हिन्दुस्तान पर खुशकी के रास्ते बढ़ना
 चाहता था तो तीसरी तरफ एलेक्जान्द्रिया के पास तक पहुंच कर जर्मनी स्वेज के
 ताल पर कब्जा करने वाला था। इस वर्ष में ऐसा मालूम हो रहा था जैसे
 भारतवर्ष पर चारों तरफ से हमले होनेवाले हों। जापान ने तो हमारे नगरों पर
 बम वर्षा भी शुरू कर दी थी।

सारा देश यह अनुभव कर रहा था कि अंग्रेजी साम्राज्य एक पुराने
 सण्डहर की तरह टूटता जा रहा है। बर्मा, मलाया, सिंगापुर के पतन से देश

इनमें रहा सहा विश्वास भी खो चुका था। क्रिप्स जिस समय भारत प्राये, कांग्रेस ने प्रयत्न किया कि समझौता हो जाय और वह बहुत कुछ चुकी लेकिन वह सफल नहीं हुआ। अन्त में उपरोक्त सारी परिस्थितियों को देख कर महात्मा गांधी का हृदय व्याकुल हो उठा और उन्होंने देश का आह्वान किया और उसको दो शब्दों का मन्त्र सुनाया "भारत छोड़ो"। महात्मा गांधी देश की नवज् पहचानने में चतुर हैं और उन्होंने जो मन्त्र दिया उसके कारण सारे देश में बिजली की तरह क्रांति का दावानल सुलबने लगा।

महात्मा गांधी ने ता. 6 अगस्त को प्रजामण्डल के अध्यक्षों को बम्बई में बुलाया और उनसे कहा कि वे अपने नरेशों को एक पत्र भेजें जिसमें उनसे अनुरोध किया जावे कि वे अपना सम्बन्ध सार्वभौम सत्ता से विच्छेद कर दें। बम्बई में प्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बाद श्री माणिक्यलालजी वर्मा अध्यक्ष मेवाड़ प्रजामण्डल उदयपुर लौटे और उनके लौटने के बाद ता. 21 को मेवाड़ प्रजामण्डल की कार्यकारिणी की बैठक हुई। जिस समय मेवाड़ प्रजामण्डल की बैठक उदयपुर में हो रही थी, हर रोज रेडियो में मोली काण्ड और अग्नि काण्ड के समाचार सुनाये जा रहे थे।

देश के लाडले नोजवान भारत की आजादी के लिये अपना खून बहा रहे थे और अंग्रेज सरकार ने दमन चक्र पूरे वेग से चालू कर रखा था। मेवाड़ प्रजामण्डल की कार्यकारिणी के सामने यह सवाल था कि क्या वह अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत और देशी भारत का जो भेद कायम कर रखा है उसकी शिकार बने और स्थानीय सरकार से परिस्थिति का लाभ उठाकर कुछ प्राप्त करे या सारे भारत की एक ही समस्या "अंग्रेजों भारत छोड़ो" मान कर उसमें साथ दे।

प्रजामण्डल की कार्यकारिणी के सदस्यों के दिमाग में सौदा करने की वृत्ति उचित नहीं मालूम हुई और ज्यादातर राय यह थी कि देशी रियासतों में आज जो गैर जिम्मेदार नौकरशाही तंत्र चालू है उसका मूल कारण अंग्रेजी साम्राज्य का पीठ बल ही है और अगर हम अंग्रेजी साम्राज्य को भारत से समाप्त करने में सफल हो जाते हैं तो देशी रियासतें आज जो मामूली सुधार करने में हिचकिचाती हैं वह 24 घंटे में जनता को हुकूमत सौंप देगी। इस विचारधारा के साथ महात्माजी के अनुसार यह निश्चय किया गया कि एक पत्र श्री महाराणा साहव को लिखा जावे। ता. 21 अगस्त सन् 1942 को मेवाड़ प्रजामण्डल की

जनरल कमेटी की बैठक बुलाई गई और उसमें श्री महाराणा साहब के पास निम्नलिखित पत्र भेजने के लिये तय किया गया—

“श्रीमान को यह ज्ञात होगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्य-समिति ने यह महसूस किया है कि अपने देश के बचाव और मित्रराष्ट्रों को सफलतापूर्वक विजय में पूरी मदद देने के लिये केवल आजाद भारत ही सम्पूर्ण उत्साह के साथ अपने सभी साधन जुटा देने में समर्थ होगा। इसलिये उसने ब्रिटिश सरकार के सामने अपने को एकदम और अभी आजाद करने की मांग को पेश करने का पूर्ण निश्चय प्रकट किया है और उस मांग को टुकराये जाने की हालत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी हासिल करने के लिये बड़े से बड़े पैमाने पर सामूहिक अहिंसात्मक आन्दोलन करने का भी इरादा जाहिर किया है। भारत की मौजूदा सरकार ने महात्मा गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं को जेलों में बन्द कर इस मांग का अपनी ओर से आक्रमण द्वारा जवाब दिया। फलतः सम्भव से पूर्व ही आजादी की लड़ाई शुरू हो गई।

मेवाड़ राज्य में बसने वाले हम लोग यह महसूस करते हैं कि ब्रिटिश भारत के हमारे भाइयों के साथ हमारी भी किस्मत जुड़ी हुई है। और इसलिये तत्काल स्वाधीन की जाने वाली मांग और उसके लिये की जाने वाली लड़ाई में हम अगर भाग नहीं लेते हैं तो हम अपनी मातृभूमि संयुक्त भारत के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते हैं। जहाँ तक देशी राज्य का सवाल है प्रजामण्डल के सर्वाधिकारी की हैसियत से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आप पू. महात्मा गांधी के आदेशानुसार अपने को ब्रिटिश सार्वभौम सत्तासे अविलम्ब स्वतन्त्र घोषित कर देंगे, और अपनी जनता को हुकूमत में सौम्हीदार बनाकर उसकी शुभनिष्ठा प्राप्त करेंगे तो उक्त मांगें पूरी हुई समझी जायेगी। मैं आपसे यह भी निवेदन कर हूँ कि इस प्रकार से आप जनता का प्रेम तथा गौरव को प्राप्त करेंगे ही, किन्तु अंग्रेजी सत्ता को भारत से हटाने में जो मेवाड़ भाग लेगा उसका श्रेय भी आपको प्राप्त होगा।

सूर्यवंशी राम के वंशज होने के नाते सत्य की परम्परा कायम रखते हुए एवं महाराणा प्रताप के खून से निर्मित होने के नाते आजादी की यह भावना मन्जूर करके उनका गौरव एक बार फिर संसार के समक्ष रखने में आप समर्थ होंगे।”

शाम को 5 बजे के करीब पत्र श्री महाराणा साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी को दिया गया और रात को उदयपुर में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया

गया। उस समा में जनता हज़ारों की तादाद में उपस्थित थी और शहर का वातावरण सारा उत्तेजित हो रहा था। मीटिंग के पहले पुलिस की हलचलों का पता हम लोगों को लब लगा था और वह भी विश्वस्त सूत्र से पता मालूम हो गया था कि ता. 21 की रात को ही सामूहिक गिरफ्तारी के लिये वारन्ट निकाले जा चुके हैं। हुआ भी वही मीटिंग, के समाप्त होने के बाद ही रात को मेवाड़ प्रजामण्डल की कार्यकारिणी के सदस्य जो उदयपुर में मौजूद थे वहाँ और जो उदयपुर में नहीं थे लेकिन बाहर कस्बों में थे वहाँ गिरफ्तार कर लिये गये। उदयपुर में उसी रात को कुछ विद्यार्थी भी गिरफ्तार करके प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ताओं के साथ जेल के सीकड़ों में बन्द कर दिए गये।

गिरफ्तारी के समाचार उदयपुर शहर में और सारे मेवाड़ में बिजली की तरह फैल गये और उदयपुर के इतिहास में सबसे बड़ा जुलूस गिरफ्तारियों के विरोध स्वरूप "मग्रेजों भारत छोड़ो" का नारा लगाता हुआ निकला। जुलूस के नेता विद्यार्थी और प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ता थे।

ता. 23 अगस्त से जुलूस बगैरा पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया और मेवाड़ सरकार ने ब्रिटिश सरकार की तरह दमन करना शुरू किया। कालेज में हड़ताल, शहर में हड़ताल, सर्वत्र 'भारत छोड़ो' और 'गिरफ्तारी दो' चीज़ सुनाई देती थी। प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ताओं के जेल जाने के बाद विद्यार्थियों की गिरफ्तारी उदयपुर में अन्धाधुन्ध शुरू की गई। कर्नल डॉन्ट ने राष्ट्रीय भण्डे को पांवों तले कुचला और एक लड़के के सीने पर पिस्तौल रखकर धमकाया लेकिन नौजवानों में आजादी की लहर दौड़ रही थी।

सरकार बच्चों को जेल में भेजकर और लाठीचार्ज करके दमन की सफलता पर गर्व करती थी और जेल में ऐसे बच्चे जिन्होंने देर से खाना नहीं खाया होगा, खाना शाम को और एक समय 24 घंटे में खाकर मस्ताने गीत गा रहे थे। जेल पर मोटरों की मोटरों भरी आती थी। आन्दोलन की लपट केवल उदयपुर तक ही सीमित नहीं थी। इसमें नाथद्वारा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, छोटी सादड़ी, भींडर, कानोड़, बेगूँ, बिजोलिया, ऋषभदेव, राजनगर, कपासन, जहाजपुर बगैरा के व्यक्तियों ने भी हिस्सा लिया।

गिरफ्तारियां करीब अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक जारी रहीं। जेल में अधिकारियों ने सब व्यक्तियों को कई हिस्सों में बाँट दिया और 30 व्यक्तियों के एक जत्थे को जिसमें प्रजामण्डल कार्यकारिणी के सदस्य और अन्य प्रमुख कार्य-

कर्त्ता थे, उदयपुर से 6 मील दूर इसवाल नामक स्थान के पुराने महलों में नजर-बन्द कर दिया। कहा जाता है, गिरफ्तारियां सब भारत रत्न कानून के मानदण्ड की गईं।

जो व्यक्ति इसवाल में नजरबन्द किये गये, उनके पास एक तिरंगा झंडा था और उस झण्डे को वे रोज सुबह सलामी देते थे। इसवाल पहुंचने पर भी उन्होंने कार्यक्रम को चालू रक्खा। इस पर जो जेलर थे और पुलिस के इन्चार्ज थे उन्होंने झंडा देने को कहा। हमने इसके लिये इन्कार कर दिया। इस पर पुलिसवालों ने सामूहिक तौर से इस झंडे को लेने के लिये हमला किया, हमने झंडा श्री माणिक्यलालजी वर्मा को दे दिया और चारों तरफ घेरा बना लिया। पुलिस नाकामयाब रही और झण्डा सत्याग्रह जेल में सफल रहा।

जो व्यक्ति पोछे यहाँ छोड़ दिये गये थे उनके साथ ज्यादा सख्त व्यवहार होने लगा और कालकोठरियों में बन्द कर दिया गया। कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार के प्रति रोष प्रकट किया तो उनको बेंतों से पीटा गया।

सरकार बहुतों को अन्धाधुन्ध गिरफ्तार कर लाई थी और बाद में उनसे माफी मंगवाने का पड़यन्त्र करती रही और इस प्रकार कुछ व्यक्तियों को इस पर मजबूर किया।

कुल गिरफ्तारियां 500 हुईं जिसमें सात महिलायें थीं। सबसे पहला जय्या विद्यार्थियों का था जो बिना शर्त को रिहा हुआ। कुछ विद्यार्थियों को दुबारा गिरफ्तार किया गया लेकिन कालेज में फिर हड़ताल हो जाने से वे बिना शर्त रिहा किए गये। कालेज करीब 15 दिन इस आंदोलन के कारण बन्द रहा।

प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी के बाद यह प्रचार किया जाने लगा कि प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ताओं ने 21 अगस्त की रात को जो भाषण दिये उससे शांति भंग होने का खतरा था इसलिए गिरफ्तारियां की गईं लेकिन दरअसल वारंट यहाँ से कुछ स्थानों को प्रजामण्डल ने प्रस्ताव पास किया उस पहिले ही पहुंच गये थे कारण अगर ऐसा न होता तो ता. 21 की रात को जिस समय उदयपुर में मीटिंग हो रही थी प्राईममिनिस्टर श्री राघवाचार्यजी के हस्ताक्षर वाले वारंट से गिरफ्तारियां कैसे होती? यह बात निश्चय है कि मेवाड़ सरकार अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द सुनने को तैयार नहीं थी और इसलिये वह इतनी

बोबला उठी और घन्घाधुन्ध गिरपतारियां शुरू कर दी और बाद में दमन पर खुशी मनाने के जलसे बिये गए और इनाम बांटे गये ।

विद्यार्थियों की रिहाई के बाद दूसरा जत्या महिलाओं की गिरफ्तारी के तीन महीने बाद छोड़ा गया और उसके बाद गिरफ्तारी क करीब 6 महीने बाद एक जत्या रिहा किया गया । उसके एक वर्ष बाद एक जत्या और छोड़ा गया । प्राम्तरी जत्या डेढ़ वर्ष बाद फरवरी सन् 1944 में छोड़ा गया ।

मेवाड़ के व्यक्ति मेवाड़ की जेल में तो बन्द थे ही लेकिन कुछ व्यक्ति मेवाड़ के बाहिर भी गिरफ्तार थे जैसे श्री सादिक अली आफिम सेक्रेटरी प्र. भा. कॉंग्रेस कमेटी, श्री गणेशीलालजी दशोरा, श्री शोभालालजी गुप्त, श्री रमेशचन्द्रजी व्यास, श्री कनकजी मधुकर ।

मेवाड़ का तीसरा जत्या जब रिहा हुआ, मेवाड़ की सारी नदी में इतनी जोर से बाढ़ आई कि उसके कारण चारों तरफ तबाही मच गई और करीब 5000 पुरुष और 125 गांव तथा एक लाख पशु बह गये । प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ता जो बाहर थे सबसे पहले कीचड़ व बारिश का मुकाबला करते हुए घटना-स्थल पर पहुंचे । बाद में रियासत और जनता के सहयोग से एक "बाढ़ सहायक समिति" कायम की गई और प्रधानमन्त्री श्री भवानीशंकरजी वैद्य प्रजामण्डल कार्यकारिणी के सदस्य थे एवम् खास बाढ़ क्षेत्र के व्यवस्थापक प्रजामण्डल के उपाध्यक्ष श्री भूरालालजी बया थे । वहां पर करीब एक वर्ष तक काम हुआ और पीड़ित जनता को सहायता पहुंचाई गई ।

मेवाड़ प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ता ज्योंही जेल से छूट कर आये, चारों तरफ निराशा का वातावरण पाया । सरकार के प्रति जनता के दिल में रोष अधिक बढ़ गया था लेकिन उसे संगठित करने वाला कोई न होने से वह अन्दर ही अंदर उठता और शांत हो जाता था । हम जेल गये और वापिस आये इस बीच महात्मा गांधी और वायसराय का पत्र-व्यवहार प्रकाशित हो चुका था और उसके आधार पर कई व्यक्ति उसको तोड़ मरोड़ कर यह साबित करने का प्रयत्न कर रहे थे कि प्रजामण्डल ने अगस्त आंदोलन में हिस्सा लेकर मेवाड़ को कई वर्षों पीछे ढकेल दिया, इत्यादि । प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ताओं ने इसके लिये अत्यन्त आवश्यक समझा कि एक वर्ष बाद राजपूताना और मध्यभारत के कार्यकर्त्ता सब मिलकर यह विचार करें कि अब आगे क्या किया जाय । इस बैठक के लिये उदयपुर ही स्थान तय किया गया और यहां पर करीब 200-250 कार्यकर्त्ता

एकत्रित हुए और उन्होंने महात्मा गांधी में पूर्ण विश्वास जाहिर किया और अगस्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जब यह राजपूताना मध्यभारत कार्यकर्ताओं का सम्मेलन उदयपुर में हो रहा था मेवाड़ सरकार ने सभाबन्दी कानून जो अगस्त 1942 में लगाया था उठा लिया। लेकिन उस दिन अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ जो भाषण हुए उसके कारण वह प्रतिबन्ध वापिस लगा दिया गया। दूसरे कई स्थानों पर भाषणों के कारण जहां इस प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं लगाये जाते वहां वहां की सरकार ने उसको भी बर्दाश्त नहीं किया। प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं ने बिना इस बात की चिन्ता करते हुए कि मेवाड़ प्रजामण्डल पर जो प्रतिबन्ध लगा दिया गया है उठा दिया जाता है या नहीं अपना काम शुरू कर दिया। मेवाड़ में भील सेवा कार्य जो अगस्त आन्दोलन के कारण सरकार ने बन्द कर दिया था और छात्रावास तक स्वतन्त्र रूप से नहीं चलने दिया था उन सब कार्यों को वापिस संगठित करना शुरू किया। श्री ठक्कर बापा की सलाह से एक अच्छी योजना बनाई गई।

मेवाड़ हरिजन सेवक संघ के कार्य को भी संगठित करने का तय किया गया और ग्रह उद्योग के विकास की तरफ भी ध्यान दिलाया गया। अप्रैल सन् 1944 से अबतक महिलाओं के लिये भीलवाड़ा में, किसानों के लिये विजोलिया में और भीलों के लिये उदयपुर में छात्रावास खोले गये हैं जहां पर यह सब पढ़ते हैं और आगे देश के कार्य के लिये तैयार हो रहे हैं।

हम रचनात्मक प्रवृत्तियों का संगठन कर रहे थे और कार्यकर्ता वापिस आकर अपनी आर्थिक स्थिति सम्भालने में लगे हुए थे। इस बीच में ता. 7-3-44 को श्री राजगोपालाचार्यजी उदयपुर आये हुए थे उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उनकी सलाह यह थी कि अब प्रजामण्डल को यह आश्वासन सरकार को देना चाहिये कि वह राजनैतिक सुधारों और जनता की तकलीफों को दूर कराने के लिये आन्दोलन कराना चाहता है और इस समय भारत छोड़ो प्रस्ताव पर अड़े रहने से कोई लाभ नहीं होगा। हमने उनको भी नम्रता पूर्वक यही उत्तर दिया कि हमने महात्मा गांधी के सेनापतित्व में आन्दोलन शुरू किया और हम उनकी गैर मौजूदगी में इस प्रकार करना सेनापति से विश्वासघात करना समझते हैं।

यह बिल्कुल ठीक है कि मेवाड़ में चाहे श्री घमनारायणजी गये और श्री राघवाचार्यजी आये, राजनैतिक अधिकारों की दृष्टि में कोई ज्यादा फर्क नहीं

अगस्त की क्रांति में जब देश का बच्चा-बच्चा अंग्रेजी साम्राज्य को भारत की भूमि से उखाड़ फेंकने को लड़ रहा था, मेवाड़ ने भी मामूली ही सही लेकिन अपना हिस्सा अदा किया और घुटने नहीं टेके। श्री राघवाचार्यजी ने अगस्त आन्दोलन को 'चाय पानी में तूफान' लिखा है लेकिन उस तूफान के लिये मेवाड़ सरकार कितनी चिन्तित थी यह किसी से छिपा नहीं और यह तूफान जैसा भी था जनता का था और जब तक शासन जनता के हाथ में नहीं आयेगा बड़ेगा ही घटेगा नहीं !

“इन्कलाब जिन्दाबाद”

“जयहिन्द”



मुद्रक

मंगल मुद्रण, चेतक सर्कल, उदयपुर

